



# DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, (GOVT. OF NCT OF DELHI)

5<sup>th</sup> Floor, I.S.B.T. Building, Kashmere Gate, Delhi-110006

visit us at : <http://dpcc.delhigovt.nic.in>

## PUBLIC NOTICE

**Kind Attention: All Producers, Recyclers and Manufacturers of Carry Bags, Recyclable Plastic Bags, Multi-layered Packaging and Processing of Plastic Waste in NCT of Delhi.**

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India has notified the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018. These rules shall apply to every waste generators, waste processors and manufacturers of plastic carry bags, multi-layered packaging material.

As per Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018, all persons who generate, collect, store, transport, re-use, recycle and dispose plastic waste in any form including importer, producer, individuals or agencies, group of individuals voluntarily engaged or authorized, are required to obtain registration under the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018 and Consent to Operate under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 from Delhi Pollution Control Committee.

The Rule 13 of the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018 provides:-

- (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from Delhi Pollution Control Committee, prior to the commencement of production;
- (2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application of DPCC, in Form I.
- (3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the DPCC, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.
- (4) Every manufacturer engaged in manufacturer of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the DPCC, for grant of registration or for the renewal of registration, in Form III

All the Producers, Recyclers and Manufacturers of Carry Bag, Recycle Plastic Bags or Multi-layered Packaging in NCT of Delhi, are hereby directed to apply online at the website of DPCC at: <http://dpcc.delhigovt.nic.in> for registration under the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018 and Consent to Operate under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by 25<sup>th</sup> December, 2019, failing which, action shall be taken against the defaulter units including closure of the unit, disconnection of electricity/ water supply and levying of Environmental Compensation as per provisions of the aforementioned acts.

DIP/Shabdarth/1104/19-20

*The Hindu*

Member Secretary, DPCC



# दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

पहली मंजिल, ई ब्लॉक, विकास भवन-11, अप्पर बेल्ट रोड, सिविल लाइन, दिल्ली-110054

हमें यहां देखें: <http://dpcc.delhigovt.nic.in>

Nav Bharat Times  
10/12/19

## सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कार्यरत सभी उत्पादक, रिसाइक्लर और कैरी बैग निर्माता, रिसाइक्लर प्लास्टिक बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग निर्माता।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक के उचित प्रबंधन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, सभी व्यक्ति जो किसी भी रूप में प्लास्टिक/प्लास्टिक कचरे को उत्पन्न, एकत्र, संग्रह, परिवहन, पुनः उपयोग, रिसाइकल, कम्पोजिट या निपटान करते हैं जिनमें आयातक, निर्माता व्यक्ति या एजेंसियां शामिल हैं, व्यक्तियों के समूह स्वेच्छा से लगे हुए या अधिकृत हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 का नियम 13 के अनुसार:-

- (1) कोई भी व्यक्ति कैरी बैग का निर्माण नहीं करेगा या प्लास्टिक की थैलियों का पुनर्चक्रण नहीं करेगा, जब तक कि उत्पादन शुरू होने से पहले उस व्यक्ति ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लिया हो;
- (2) प्रत्येक निर्माता, पंजीकरण के लिए या पंजीकरण के नवीकरण के लिए फॉर्म-I में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का आवेदन करेगा।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति रिसाइक्लिंग या प्रसंस्करण या प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने या संसाधित करने का प्रस्ताव करता है, जो फॉर्म-II में रिसाइक्लिंग यूनिट के लिए पंजीकरण के पंजीकरण या नवीनीकरण के अनुदान के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।
- (4) निर्माता द्वारा प्लास्टिक के निर्माता के रूप में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक निर्माता को पंजीकरण के अनुदान के लिए या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए फॉर्म-III में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में सभी निर्माता, रिसाइक्लर्स और निर्माता विनिर्माण कैरी बैग, रिसाइक्लर प्लास्टिक बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 तथा पानी (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संचालित करने की सहमति के लिये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट <http://dpcc.delhigovt.nic.in> पर ऑनलाइन पंजीकरण 25 दिसम्बर, 2019 तक करने का निर्देश दिया जाता है। जो इकाई ऐसा करने में विफल रहेगी, उन डिफॉल्टर इकाइयों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यूनिट को बंद करना, बिजली/पानी की आपूर्ति बंद करना तथा पर्यावरण को हानि हेतु क्षतिपूर्ति शुल्क लगाना आदि शामिल होगा।

sd/-